न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम–नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

अपील संख्याः–06/2019 भरण पोषण अधिनियम

सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री नत्थूराम जाति जाट आयु 38 साल निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––अपीलाण्ट

बनाम

1. सरस्वती देवी पत्नी स्व. श्री नत्थूराम जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. मोहनलाल पुत्र स्व. श्री नत्थूराम जाति जाट आयु 38 साल निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.09.2019 न्यायालय भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, संगरिया प्रकरण संख्या–78/2019 बअनवानी सरस्वती देवी बनाम सुरेन्द्र कुमार आदि के सम्बन्ध में।

निर्णय **दिनांकः–06.06.2022**

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इन कथनों के साथ पेश किया कि प्रार्थीया गांव बोलावाली तहसील संगरिया की एक वृद्ध महिला है जिसकी उम्र करीब 70 वर्ष है। प्रार्थीया के पति की मृत्यु करीब एक वर्ष पूर्व हो चुकी है। प्रार्थीया के पति के नाम चक 8 एमएमपी में करीब 14 बीघा कृषि भूमि दर्ज पटवार रिकार्ड है। उक्त भूमि पर प्रार्थीया व उसके दो पुत्रों का हक है। उक्त कृषि भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है एवं उक्त कृषि भूमि प्रार्थीया द्वारा पूर्व में ठेके पर देकर अपना जीवन यापन करती रही है। उक्त प्रार्थीया वर्तमान में अपने बड़े पुत्र सुरेन्द्र कुमार के साथ रह रही है एवं प्रार्थीया का छोटा पुत्र नशे वगैरा का आदी है। प्रार्थीया के पति के नाम से एक रिहायशी मकान भी है जिसमें प्रार्थीया अपने पुत्र के साथ रहती है। चुंकि अब प्रार्थीया के पुत्र के मन में उक्त सम्पत्ति हड़पने की लालसा जागृत होने के वजह से अप्रार्थी सुरेन्द्र ने अपनी माता को घर व कृषि भूमि से बेदखल कर दर–दर की ठोकरे खाने को मजबूर हो चुकी है। अप्रार्थी द्वारा घर से निकाले जाने के बाद प्रार्थीया अपने भाई के घर पर रहने को मजबूर है जिसे प्रार्थीया का अपना अपमान महसूस होता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीया के पुत्र को प्रार्थीया के भरण पोषण व अप्रार्थी सुरेन्द्र कुमार के आवासीय मकान में अलग से रहने की व्यवस्था करने हेतु पाबन्द किये जाने बाबत निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 01 सुरेन्द्र कुमार ने अपने जवाब में कथन किये कि उसकी मां वृद्ध होने के साथ–साथ कैंसर से भी पीड़ित है जो अपने भाई लालचन्द व कृष्णलाल एवं पुत्र मोहनलाल के कुप्रभाव में है तथा

उक्त सभी मिलकर प्रार्थी को उक्त मकान से बेदखल करने की फिराक में है। प्रार्थी व प्रार्थी की माता के बीच किसी प्रकार का विवाद कभी भी नहीं रहा है। आज भी प्रार्थी अपनी माता को अपने साथ रखने हर तरह से भरण–पोषण की जिम्मेवारी लेता आ रहा है तथा भविष्य में लेता रहेगा। अप्रार्थी सं. 02 मोहनलाल ने अपने जवाब में कथन किया कि 16 वर्ष पूर्व प्रार्थी के माता–पिता व प्रार्थी का बड़ा भाई सुरेन्द्र कुमार प्रार्थी से सारा हिसाब करके अलग हो गये थे। प्रार्थी का जो घर घरेलू बंटवारा में दिया था उसकी कीमत प्रार्थी के माता–पिता व प्रार्थी के बड़े भाई को अदा कर चुका है। अब अप्रार्थी सं. 02 के घर मं माता सरबती व अप्रार्थी सं. 01 सुरेन्द्र कुमार का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है। जिस पर विचारणीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीया/रेस्पोडेन्ट सं. 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया जिसे अपीलाण्ट निम्न आधारों पर चुनौती देता है।

विचाराणीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.09.2019 गलत, विधि विरूद्ध तथा न्यायिक सिद्धन्तों के खिलाफ होने के कारण काबिल खारिजी है। रेस्पोडेन्ट सं. 01 के पति के नाम चक 8 ए.एम.पी. में 3.655 हैक्ट. कृषि भूमि दर्ज है, जिसमें अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टान का बहिस्सा बराबर हक व हिस्सा है जिसमें रेस्पोडेन्ट सं. 01 अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि स्वयं ठेका पर देकर काश्त करवाती है जिसकी आय रेस्पोडेन्ट सं. 01 ही प्राप्त करती है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में प्रार्थीया के पति के नाम से चक 8 ए.एम.पी. में 14 बीघा आराजी होना स्वीकार किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर न कर कानूनी भूल की है इस कारण अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 03.07.2019 में स्वयं के पास एक रिहायशी मकान होने का कथन किया है जिसमें प्रार्थीया, प्रार्थीया का छोटा पुत्र मोहनलाल आज भी निवास कर रहे है। अपीलाण्ट अपने स्वयं द्वारा खरीदशुदा मकान में रिहायश कर रहा है और अपीलान्ट के पास कोई पैतृक रिहायशी मकान नहीं है, इन तथ्यों पर गौर न कर अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। प्रार्थीया के पास अपने भरण–पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन है तथा रिहायश करने के लिए अपने पति से प्राप्त पैतृक मकान है तथा प्रार्थीया स्वस्थ महिला है। प्रार्थीया द्वारा मुझ अपीलान्ट को हैरान परेशान करने के लिए रेस्पोडेन्ट सं. 02 के साथ मिलकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था, इस कारण अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.09.2019 को अपास्त किया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई है। रेस्पोडेन्ट्स को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया।

अपीलांट जरिये न्यायमित्र श्री शिवराज सिंह खोसा एवं रेस्पोडेन्ट सं. 01 जरिये न्याय मित्र श्री राजीव कुलश्रेष्ठ उपस्थित, रेस्पोडेन्ट सं. 01 उप.। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 01 को सुना गया। अपीलांट ने अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 01 के पति के नाम चक 8 ए.एम.पी. में 3.655 हैक्ट. कृषि भूमि दर्ज है, जिसमें अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टान का बहिस्सा बराबर हक व हिस्सा है जिसमें रेस्पोडेन्ट सं. 01 अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि स्वयं ठेका पर देकर काश्त करवाती है जिसकी आय रेस्पोडेन्ट सं. 01 ही प्राप्त करती है। रेस्पोडेन्ट सं. 01 ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 03.07.2019 में स्वयं के पास एक रिहायशी मकान होने का कथन किया है जिसमें रेस्पोडेन्ट सं. 01, रेस्पोडेन्ट सं. 01 का छोटा पुत्र मोहनलाल आज भी निवास कर रहे है। अपीलान्ट द्वारा अपने रिहायशी प्लॉट के खरीदशुदा होने के सम्बन्ध में इकरारनामा सौदा स्टाम्प पैपर की फोटो प्रतियां पेश करते हुए

कथन किया कि अपीलाण्ट अपने स्वयं द्वारा खरीदशुदा मकान में रिहायश कर रहा है और अपीलान्ट के पास कोई पैतृक रिहायशी मकान नहीं है। रेस्पोडेन्ट सं. 01 के पास अपने भरण–पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन है तथा रिहायश करने के लिए अपने पति से प्राप्त पैतृक मकान है तथा रेस्पोडेन्ट सं. 01 स्वस्थ महिला है। रेस्पोडेन्ट सं. 01 अपने हिस्से के कृषि भूमि ठेके पर देने हेतु स्वयं के पास रखी है जिससे वह अपना भरण–पोषण करने हेतु सक्षम है तथा रहने के लिए अपने छोटे पुत्र मोहनलाल के पास पैतृक मकान है जिसमें वह वर्तमान में निवास कर रही है। रेस्पोडेन्ट सं. 01 द्वारा मुझ अपीलान्ट को हैरान परेशान करने के लिए रेस्पोडेन्ट सं. 02 के साथ मिलकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था, इस कारण अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील में वर्णित बिन्दुवार तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.09.2019 को अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट नं. 1 स्वयं व जरिये न्याय मित्र श्री राजीव कुलश्रेष्ठ हाजिर आकर कथन किया कि प्रार्थीया के पति की मृत्यु करीब 4 वर्ष पूर्व हो चुकी है। प्रार्थीया के पति के नाम चक 8 ए.एम.पी. में करीब 14 बीघा कृषि भूमि दर्ज पटवार रिकार्ड है। उक्त भूमि पर प्रार्थीया व उसके दो पुत्रों का हक है। उक्त कृषि भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है एवं उक्त कृषि भूमि प्रार्थीया द्वारा पूर्व में ठेके पर देकर अपना जीवन यापन करती रही है। प्रार्थीया अपने पति की मृत्यु से पहले व बाद में भी बड़े पुत्र सुरेन्द्र कुमार के साथ पैतृक रिहायशी मकान में रहती थी। चुंकि अब प्रार्थीया के बड़े पुत्र सुरेन्द्र के मन में उक्त सम्पत्ति हड़पने की लालसा जागृत होने की वजह से अप्रार्थी सुरेन्द्र ने अपनी माता को घर व कृषि भूमि से बेदखल कर दर–दर की ठोकरे खाने को मजबूर कर दिया है। अप्रार्थी सुरेन्द्र द्वारा घर से निकाले जाने के बाद प्रार्थीया अपने भाई के घर पर रहने को मजबूर है जिसे प्रार्थीया का अपना अपमान महसूस होता है। प्रार्थीया वर्तमान में अपने पति के नाम से एक रिहायशी मकान में छोटे पुत्र मोहनलाल के साथ रह रही है। परन्तु छोटा बेटा नशा वगैरह करने का आदि होने के कारण उसका व्यवहार ठीक नहीं है। अतः प्रार्थीया के भरण–पोषण व उसके बड़े पुत्र सुरेन्द्र के आवासीय मकान में अलग से रहने की व्यवस्था करने हेतु निवेदन किया है।

दोनो पक्षकारों के कथनों पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा यह अपील भरण–पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, संगरिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.09.2019 के विरूद्ध भरण–पोषण अधिनियम की धारा 16 के तहत की गई है। अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 01 के पास अपने भरण–पोषण के लिए पर्याप्त साधन (अपने हिस्से की कृषि भूमि) तथा रिहायश के लिए पैतृक मकान होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को रेस्पोडेन्ट सं. 01 को प्रति माह 3000 रूपये देने व अपने स्वयं के खरीदशुदा प्रश्नगत रिहायशी मकान में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के आदेश को निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा है। अपीलाण्ट, रेस्पोडेन्ट सं. 01 के स्वयं कथनानुसार व अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन अनुसार रेस्पोडेन्ट सं. 01 के पति के नाम चक 8 ए.एम.पी. में 3.655 हैक्ट. कृषि भूमि दर्ज है, जिसमें अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टान का बहिस्सा बराबर हक व हिस्सा है जिसमें तीनो ही बहिस्सा बराबर बांट रखी है। रेस्पोडेन्ट सं. 01 अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि स्वयं ठेका पर देकर काश्त करवाती है जिसकी आय रेस्पोडेन्ट सं. 01 द्वारा ही प्राप्त करना स्वीकार किया है। उक्त विवेचनानुसार रेस्पोडेन्ट सं. 01 द्वारा अपने हिस्से के कृषि भूमि बहिस्सा बराबर बांटा जाना व स्वयं द्वारा ठेके पर देकर काश्त करवाने से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट सं. 01 के पास अपने भरण–पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन होने पर भरण–पोषण की कोई आवश्यकता नहीं है।

जहां तक आवास व मूलभूत सुविधा का प्रश्न है रेस्पोडेन्ट सं. 01 के कथनानुसार बड़े पुत्र सुरेन्द्र द्वारा घर से बेदखल करने के बाद वह अपने पैतृक रिहायशी मकान में छोटे पुत्र मोहनलाल के साथ आज भी निवास कर रही है। परन्तु छोटे बेटे का व्यवहार ठीक नहीं होने पर रेस्पोडेन्ट सं. 01 द्वारा बड़े बेटे सुरेन्द्र के मकान में से एक अलग ही कमरा देने की मांग की है। अपीलाण्ट सुरेन्द्र के कथनानुसार वह पहले भी अपनी मां व पिता को पिछले 15 सालों से साथ रखता आया है एवं अब भी साथ रखने को तैयार है। परन्तु अपने मकान में कमरे कम होने की वजह से अलग से कमरा देने की बजाय साथ रखकर ही रोटी पानी व सेवा चाकरी करने का निवेदन किया है। रेस्पोडेन्ट सं. 01 द्वारा अपीलाण्ट के मकान को पैतृक मकान बताते हुए उसमें से एक कमरा देने की मांग की है परन्तु ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किए है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलाण्ट का मकान पैतृक सम्पत्ति है। इसके विपरीत अपीलान्ट द्वारा अपने रिहायशी प्लॉट के खरीदशुदा होने के सम्बन्ध में इकरारनामा सौदा स्टाम्प पैपर की फोटो प्रतियां पेश की है जिनसे अपीलान्ट द्वारा खरीदशुदा होना प्रतीत होता है। जहां तक पैतृक मकान में से अलग कमरे के हक की बात है रेस्पोडेन्ट सं. 01 अपने छोटे पुत्र मोहनलाल के मकान में से मांग कर सकती है, जो पैतृक सम्पत्ति है जिसे अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 01 ने स्वीकार किया है। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 01 को अपने साथ रखने में कोई ऐतराज नहीं है इसलिए रेस्पोडेन्ट सं. 01 चाहे तो उसके मकान में रह सकती है। रेस्पोडेन्ट सं. 01 की वृद्धावस्था को देखते हुए रहने के लिए आवास व मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना दोनो पुत्रों का नैतिक दायित्व है। इसलिए दोनो पुत्रों में से कोई एक रेस्पोडेन्ट सं. 01 को आवास सुविधा हेतु अपने मकान में रखें तथा मूलभूत आवश्यक सुविधाए उपलब्ध करवाएं। उक्त विवेचनानुसार यह अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.09.2019 अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख भरण–पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, संगरिया को पालनार्थ लौटाया जावे। निर्णय की प्रति जिला समाज कल्याण अधिकारी, हनुमानगढ़ एवं उभय पक्ष को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश आज दिनांक 06.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ़
सत्यमेव जयते

Web Copy Not Official